

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक- प्रशि0/जीएनएम/जी-88/2011/1147


दिनांक- 01.06.2011

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2011-12 में प्रवेश हेतु
संक्षिप्त विज्ञप्ति

इस निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय / निजी नर्सिंग स्कूलों में सत्र 2011-12 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये दिनांक-05.07.2011(साय 6 बजे) तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1	शैक्षणिक योग्यता	पुरानी स्कीम में प्रथम वर्ष टी.डी.सी. अथवा नई (10+2) स्कीम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से फीजिक्स, कैमिस्ट्री व बॉयलोजी विषयों के साथ सीनियर सैकण्ड्री परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष परीक्षा, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है) किसी जातिवर्ग में उक्त विषय वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अन्य विषय वर्ग के उसी वर्ग के प्रत्याशी प्रवेश के पात्र होंगे।
2	आयु (1.10.2011)	पुरुष अभ्यर्थी- न्यूनतम 17 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। महिला अभ्यर्थी- न्यूनतम 17 वर्ष, अधिकतम 34 वर्ष। अनुसूचित जाति/ जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
3	सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या/संस्थाओं की संख्या (परिवर्तनीय) है। राजकीय नर्सिंग स्कूलों 900 सीटें निजी नर्सिंग स्कूलों में राजकीय कोटे की 3381 सीटें(संख्या परिवर्तनीय) राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउन्सिलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
4	आरक्षण	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 12 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 21 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार देय है। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित नहीं होने वाले विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछड़ा वर्ग में देय होगा। विकलांग श्रेणी के लिये 3 प्रतिशत तथा विभागीय कर्मचारियों के लिये 10 प्रतिशत क्षैतिज आधार पर आरक्षण देय है। राजकीय जीएनएम स्कूल बांसवाड़ा की सभी सीटें जनजातिय उपयोगना क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है तथा जनजातिय उपयोगना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों तथा बांरा जिले की शाहबाद तथा किशनगंज तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिये निजी नर्सिंग स्कूलों में भी नियमानुसार आरक्षण होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किये प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्त की अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो
5	महिला आरक्षण	महिला अभ्यर्थियों के लिये 80 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। (आरक्षण की श्रेणीवार किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।)
6	पाठ्यक्रम की अवधि	3 वर्ष एवं 6 माह, जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है।
7	शिक्षण शुल्क	राजकीय प्रशिक्षण स्कूल 180/-रुपये वार्षिक। निजी प्रशिक्षण स्कूल 38000/-रुपये वार्षिक।
8	चयन प्रक्रिया	राज्य स्तरीय मेरिट एवं (काउंसिलिंग के समय) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर कम्प्यूटराईज्ड काउंसिलिंग के दौरान अभ्यर्थी को राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश की स्थिति में 180/-रुपये का तथा निजी नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश की स्थिति में 10,000/- रुपये अग्रिम राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो "रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर" के नाम देय हो काउन्सिलिंग स्थल पर ही जमा कराना होगा, तत्पश्चात ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी का आवंटन पत्र एवं जमा राशि की रसीद मोके पर ही देय होगी।
9	आवेदन शुल्क	100/-रुपये (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 50 रुपये मात्र) शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर जो, आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान-जयपुर के नाम देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
10	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है। साथ ही विज्ञप्ति इस निदेशालय, समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों, समस्त राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों तथा समस्त रोजगार कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। आवेदन प्रपत्र की टंकित/हस्तलिखित प्रति में भी आवेदन स्वीकार्य होगा।
11	आवेदन पत्र किस पते पर	आवेदन पत्र अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान-जयपुर के पते पर भेजें। लिफाफे पर (जी.एन.एम प्रशिक्षण 2011-12 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र) आवश्यक रूप से लिखें।

अधिक जानकारी हेतु कृपया बिन्दू संख्या-10 अनुसार विस्तृत विज्ञप्ति को देखें।


(बी.के. दोसी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
(स्वास्थ्य भवन)

क्रमांक:प्रशि./जीएनएम/जी-88/2011/1148

दिनांक: 01.06.2011

:: प्रवेश विज्ञापित ::

(जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रवेश 2011.12)

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय/ निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों में सत्र 2011-12 हेतु प्रारम्भ होने वाले जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (तीन वर्ष छः माह, जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है) में प्रवेश हेतु योग्य महिला/पुरुष अभ्यर्थियों से विज्ञापित के साथ प्रकाशित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करके प्राप्त की जा सकती है। उसके टंकित या हस्तलिखित प्रपत्र में भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पत्र अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित करते हुये रजिस्टर्ड/साधारण डाक या कोरियर से 05.07.2011 (सांय 6.00 बजे) तक भिजवाये जा सकते हैं। आवेदन व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र अन्तिम तिथि तक इस निदेशालय को प्राप्त हो जावे, इसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। 05.07.2011 (सांय 6.00 बजे) के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ 100/- रुपये (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी हेतु 50/-रुपये) के भारतीय पोस्टल आर्डर/डीडी जो आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान-जयपुर के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन एवं प्रवेश की शर्तों का विवरण निम्नानुसार है:-

(A) शैक्षणिक योग्यता

(i) पुरानी स्कीम में प्रथम वर्ष टी.डी.सी. अथवा नई (10+2) स्कीम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से फीजिक्स, कैमिस्ट्री व बायोलोजी विषयों के साथ सीनियर सैकण्डरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत) न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हों, तो दोनों परीक्षाओं (मुख्य व पूरक) की, अंक तालिकाएँ संलग्न करें)।

(ii) यदि उपरोक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग/श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे, तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु ही, अन्य विषय वर्ग (कृषि विज्ञान सहित) से उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा।

(B) आयु (1.10.2011 को संदर्भ मानकर गणना की जावेगी।)

(i) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा अधिकतम 34 वर्ष। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष (जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका/प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

नोट:- (अन्य पिछड़ी जाति / अनुसूचित जाति / जन जाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में नियमानुसार पाँच वर्ष की छूट देय होगी।)

(C) अन्य सामान्य जानकारी

- (i) जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि एवं पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।
- (ii) प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों का एक प्रशिक्षण केन्द्र से अन्य प्रशिक्षण केन्द्र पर स्थानान्तरण पूर्णतः निषिद्ध होगा।
- (iii) प्रशिक्षण हेतु महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों का चयन 80:20 अनुपात में होगा। किसी वर्ग/श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग/श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश देय होगा।
- (iv) चयनित अभ्यर्थियों को तीन माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जिसमें अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण से पृथक किया जा सकेगा।
- (v) आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् कोई भी अन्य प्रमाण पत्र न तो जोड़ा जाएगा और न ही संशोधित किया जावेगा।

GM

- (vi) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने, अहस्ताक्षरित होने, शुल्क संलग्न न होने अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में निरस्त कर दिया जावेगा।
- (vii) प्रशिक्षण में चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अतः सभी संस्थाओं हेतु एक ही आवेदन पत्र भरा जावे। उसी के आधार पर मेरिट अनुसार संस्था का आवंटन कर दिया जावेगा।
- (viii) अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ होना अनिवार्य है जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण में ज्योईनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किये प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। बशर्ते कि अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण पात्रता रखती हो।
- (ix) आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ 9"x4" की साईज के दो लिफाफे जिस पर स्वयं का पूर्ण पता लिखा हो, संलग्न करना आवश्यक है।
- (x) सत्र प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि माह अगस्त 2011 है।
- (xi) नर्सिंग स्कूलों की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउन्सलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

(D) काउन्सलिंग:-

1. काउन्सलिंग की संभावित अविधि माह अगस्त 2011 से है। काउन्सलिंग में अभ्यर्थी का व्यक्तिशः उपस्थित होना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम एक अभिभावक को काउन्सलिंग में अनुमति दी जा सकेगी। अनुपस्थित अभ्यर्थी का प्रवेश पाने का अधिकार समाप्त समझा जावेगा।
2. काउन्सलिंग की सूचना (विस्तृत कार्यक्रम) विभागीय वेबसाइट/नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी। डाक से सूचना प्राप्त न होने पर भी उक्त सूचना के आधार पर काउन्सलिंग में उपस्थित हो सकेगा।
3. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन काउन्सलिंग के दौरान अभ्यर्थी की राज्य स्तरीय मेरिट एवं अभ्यर्थी के विकल्प के आधार पर कम्प्यूटर के जरिये किया जावेगा। जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट व मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराई जायेगी। अभ्यर्थियों को अपनी रुचि के प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाते हुए विकल्प पत्र काउन्सलिंग स्थल पर ही भरकर प्रस्तुत करना होगा। किसी भी समय उपलब्ध रिक्त सीटों की सूचना काउन्सलिंग स्थल पर ही उपलब्ध रहेगी। जिनको एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर के माध्यम से काउन्सलिंग स्थल पर ही प्रदर्शित किया जाता रहेगा। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु 180/-रूपये फीस तथा निजी नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश हेतु 10000/-रूपये फीस पेटे अग्रिम राशि का बैंक ड्राफ्ट जो रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल, जयपुर के नाम देय हो, प्रवेश की स्थिति में काउन्सलिंग स्थल पर ही जमा कराना होगा। तत्पश्चात ही चयनित अभ्यर्थी को आवंटन पत्र व जमा राशि की रसीद मोकें पर ही देय होगी।
4. रुचि के केन्द्र में प्रवेश मिलने पर, काउन्सलिंग कक्ष में सहमति व्यक्त करने के बाद काउन्सलिंग समाप्त होने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेगा/प्रशिक्षण को छोड़ देता है तो उसके द्वारा जमा राशि जब्त योग्य होगी।
5. सर्वप्रथम राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की सीटों पर "आरक्षण की श्रेणीवार" प्रवेश दिया जायेगा और वर्गवार राजकीय केन्द्रों की सीटें समाप्त होते ही निजी नर्सिंग स्कूलों हेतु आवंटन प्रारम्भ कर दिया जावेगा। अतः अभ्यर्थी को दोनों तरह के सम्भावित प्रवेश की तैयारी के साथ आना होगा। प्रवेश लेने की सहमति/असहमति मोकें पर ही देनी होगी। उसके लिए काउन्सलिंग कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
6. निजी नर्सिंग स्कूलों की प्रथम काउन्सलिंग के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल को निर्धारित अवधि में तत्परता से प्रस्तुत करनी होगी। यदि उपस्थित अभ्यर्थियों की सूचना किसी संस्थान द्वारा नहीं दी गई या सूचना देने में विलम्ब किया गया तो ऐसी निजी नर्सिंग स्कूल में आवंटन नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त रहने वाली सीटों के लिये ऐसी निजी नर्सिंग स्कूल का स्वयं का दायित्व होगा एवं आगामी काउन्सलिंग में उस नर्सिंग स्कूल को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
7. काउन्सलिंग हेतु विलम्ब से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी का उनकी उपस्थिति के समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विकल्प मान्य होगा।
8. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रादि/अंकतालिका उनके नर्सिंग स्कूलों में ही रहेंगे और इनका सम्बन्धित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन करा लिये जाने के बाद ही लौटाया जा सकेगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी पाया जायेगा, तो ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुये उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।
9. राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, आवंटित होने की स्थिति में अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज भी काउन्सलिंग स्थल पर ही जमा कराने होंगे, अन्यथा प्रवेश रद्द समझा जायेगा।

(E) विभागीय सेवारत कर्मचारी-

राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए राज्य सेवा में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिए योग्यताएं/ शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

- (1) योग्यताधारी विभागीय कर्मचारी नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से, निर्धारित तिथि तक, आवेदन करें।
- (2) चयनित होने पर विभागीय कर्मचारियों को नियमानुसार अवकाश लेना होगा।
- (3) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8 (6) चि/गुप-3/88 दिनांक 14.10.1997 के प्रावधानानुसार विभागीय कर्मचारी दिनांक 01.10.11 को 35 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होने चाहिए तथा उक्त दिनांक को पाँच वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5 (5) चि.स्वा-3/93 पार्ट दिनांक 01.01.2000 के प्रावधानानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (4) विभाग में संविदा/समेकित वेतन(Fixed Pay) पर कार्यरत कर्मचारी चयन के पात्र नहीं हैं।

(F) आरक्षण

- (i) अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित नहीं होने वाले विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछड़ा वर्ग में देय होगा। राजस्थान राज्य के ही आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आरक्षण देय होगा। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
 - (ii) विकलांग अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत आरक्षण केवल ओ.एल. (वन लेग) श्रेणी में होरिजेण्टल/वरीयता के आधार पर देय होगा। 40 प्रतिशत से कम विकलांगता होने तथा प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना होने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
 - (iii) राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा केवल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, इस हेतु जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अर्थात् बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिला तथा उदयपुर जिले की खैरवाड़ा/सराड़ा/ सलूम्बर/ धरियावाड़/कोटडा तथा गिरवा तहसीलों के जनजाति विकास विभाग उदयपुर द्वारा निर्धारित 81 गांवों के अभ्यर्थी, प्रतापगढ़ जिले की अरनोद/प्रतापगढ़ तहसीलों, के जनजाति तथा सिरोही जिले की आबूरोड़ तहसील एवं बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद पंचायत समितियों के सहरिया जनजाति के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं।
(नोट: जनजाति विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में किया जाने वाला परिवर्तन मान्य होगा।)
 - (iv) जनजातिय उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों का एवं बारां जिले कि शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलो के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिये निजी नर्सिंग स्कूल्स में भी नियमानुसार आरक्षण होगा। जिसके लिये ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
 - (v) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5 (330) चिस्वा/गुप-3/97 दिनांक 26.11.2002 के प्रावधानानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों (सभी सर्वगो) को प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ होरिजेण्टल बेसिस पर वरीयता के आधार पर दिया जावेगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता / महिला स्वास्थ्य दर्शिका हेतु प्रशिक्षण कोर्स की अवधि 3 वर्ष निर्धारित है तथा इन्हें 6 माह के मिडवाइफरी प्रशिक्षण की छूट होगी।
 - (vi) राज्य सरकार के पत्रांक एफ.5(23) चिकि.स्वा./गुप-3/07 दिनांक 23.10.09 के प्रावधानानुसार निजी सहभागिता कार्यक्रम (Public Private Partnership Programme) के अन्तर्गत राजस्थान बाल कल्याण समिति, डूंगरपुर के अधीन संचालित जे.आर. इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सागवाड़ा (डूंगरपुर) में डूंगरपुर जिले के अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग से प्रवेश दिया जावेगा। डूंगरपुर जिले के अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की स्थिति उदयपुर संभाग के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। संस्थान में शुल्क का ढांचा अन्य निजी जीएनएम प्रशिक्षण संस्थानों के शुल्क का आधा अर्थात् 50 प्रतिशत दो वर्ष तक ही देय होगा। जो कि समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय/भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
- (नोट: क्र.सं. (अ) में उल्लेखित विभागीय कर्मचारी तथा कम संख्या।। में उल्लेखित विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर प्रशिक्षण की सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जावेगा।)

(G) फीस :-

“राजकीय स्कूल्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में प्रवेश हेतु काउंसलिंग स्थल पर ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 180/- तदर्थ फीस राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट “रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कॉउंसिल, जयपुर” के नाम जमा कराना होगा” तथा इस आशय का शपथ पत्र प्रवेशार्थी/प्रवेशार्थी के संरक्षक द्वारा प्रस्तुत करना होगा कि राजकीय निर्णय अनुसार शुल्क में जो वृद्धि की जावेगी, उस शुल्क के अन्तर की राशि उसके द्वारा जमा करा दी जावेगी।

निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिये फीस 38000/- वार्षिक अधिकतम तथा छात्रावास (निवास की स्थिति में) शुल्क के रूप में सिंगल बैडेड रूम रूपये 12000/- अधिकतम, डबल बैडेड रूम रूपये 8000/- अधिकतम व ट्रिपल बैडेड रूम रूपये 6000/- अधिकतम निर्धारित है। निजी क्षेत्र के संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु भी काउन्सलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग स्थल पर ही फीस के पेटे 10000/- रूपये टोकन मनी के रूप में अग्रिम राशि का बैंक ड्राफ्ट “रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल” के नाम का जमा करवाना आवश्यक होगा। अन्यथा वरीयता सूची के अगले अभ्यर्थी को उसकी जगह प्रवेश दे दिया जावेगा।



(बी.के. दोसी)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य,
राजस्थान, जयपुर

**जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2011-12
प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप**

भाग -- अ

स्वयं का पासपोर्ट
साईज का
हस्ताक्षरित फोटो
चिपकाएँ।

कृपया अपने से सम्बन्धित बॉक्स पर (√) चिन्ह अंकित करें।

1. सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में अभ्यर्थी का ऐच्छिक विषय (फैकल्टी) :-
साइन्स (बॉयलोजी) अन्य विषय
(उक्त परीक्षा की अपनी अकतालिका की प्रति भी संलग्न करें।)
2. अभ्यर्थी का लिंग - महिला पुरुष
3. अभ्यर्थी का जाति वर्ग :-
सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जाति
विशेष पिछड़ा वर्ग टीएसपी अनुसूचित जनजाति टीएसपी अनुसूचित जाति
4. क्या अभ्यर्थी विकलांग (OL) श्रेणी में प्रवेश का पात्र है :- हाँ नहीं
(प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
5. यदि अभ्यर्थी विभागीय राज्य कर्मचारी है, तो किस श्रेणी में पात्रता रखता है:-
स्वास्थ्य कार्यकर्ता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अन्य कर्मचारी
(भाग 'स' को भरना अनिवार्य है।)
6. परीक्षा शुल्क विवरण:- बैंक ड्राफ्ट द्वारा पोस्टल आर्डर द्वारा
- 6.1 बैंक डी.डी. नं./पोस्टल आर्डर नं. दिनांक राशि (रूपये).....
- 6.2 बैंक (मय ब्रांच)/पोस्ट ऑफिस का नाम.....

भाग -- ब

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी में).....
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में).....
3. जन्म तिथि ___/___/___ (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. दिनांक 01.10.2011 को आयु :- वर्ष ___ माह ___ दिन ___
5. वर्तमान पता
..... जिला.....
6. स्थाई पता
..... जिला.....
7. दूरभाष नं. STD कोड सहित 8. Mobile No. (if any).....

8 शैक्षणिक योग्यता (सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष का ही विवरण दें।)								
क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांकों का प्रतिशत	ऐच्छिक विषय
								1.
								2.
								3.

हस्ताक्षर आवेदक

भाग - स

(केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए)

1. नाम
2. पदनाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता चतुर्थ श्रेणी अन्य कर्मचारी
3. नियुक्ति तिथि ---/---/-----
4. वर्तमान पदस्थापन स्थानजिला
5. जन्म दिनांक ---/---/-----

हस्ताक्षर आवेदक

उपरोक्त विवरण कार्यालय रिकार्ड अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
नियुक्ति/प्रशासनिक अधिकारी मय
कार्यालय मोहर

भाग - द

घोषणा
मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री घोषणा
करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं, तथा
मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है।

संलग्न:- सत्यप्रतिलिपि का विवरण:-

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर आवेदक

नोट:- आवेदक इस निदेशालय को आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "जी.एन.एम. प्रशिक्षण 2011-12
में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र" अवश्य अंकित करें।